

<p>संख्या ७२ ७२</p> <p>संख्या ७२ ७२</p> <p>संख्या ७२ ७२</p>	<p>संख्या ७२ ७२</p> <p>संख्या ७२ ७२</p> <p>संख्या ७२ ७२</p>	<p>संख्या ७२ ७२</p> <p>संख्या ७२ ७२</p> <p>संख्या ७२ ७२</p>
<p>08.10.2025</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील जी.एस.एम.एस. संख्या 2021/371 चौदसिंह बनाम मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। उनकी बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे विदित होता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आरबीट्रेशन बार-बार व अंतिम अवसर देने के उपरान्त भी प्रार्थी की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 03.10.2017 को खारिज किया गया है। जिसके विरुद्ध लगभग 4 वर्ष पश्चात् असाधारण विलम्ब से हस्तगत प्रार्थना पत्र बाजदायरी प्रस्तुत किया गया है, जो मियाद बाहर होने के कारण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।</p> <p>अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाजदायरी खारिज किया जाता है। हस्तगत पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा हमफीता मूल पत्रावली रहे। आदेश सुनाया गया।</p> <p>(पूनम) संभागीय आयुक्त संयोजित उम्मेदवार जयपुर जयपुर</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>